राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

A 15/7

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 113/2017

1. प्रेम चन्द पुत्र श्री राजा राम जाति अरोड़ा साकिन 9 एम एल लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **वादी**

–:: बनाम ::–

1. राजा राम उर्फ राजू राम उर्फ राजकुमार पुत्र श्री गंगू राम जाति अरोड़ा साकिन 9 एम एल लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अशोक कुमार पुत्र श्री राजा राम जाति अरोड़ा साकिन 9 एम एल लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. सोहन लाल पुत्र श्री राजा राम जाति अरोड़ा साकिन 9 एम एल लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. लक्ष्मी रानी पुत्री श्री राजा राम पत्नी श्री सुरेश कुमार छाबड़ा जाति अरोड़ा साकिन 9 एम एल लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. ललिता पुत्री श्री राजा राम पत्नी श्री औमप्रकाश कालड़ा जाति अरोड़ा साकिन 9 एम एल लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2.	श्री रोबिन कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 वादी के सगे भाई तथा 4 व 5 वादी की सगी बहिनें हैं। वादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 10 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 38/34 का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.264 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 6.200 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 4.650 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 1.550 हैक्टर कृषि भूमि, इसी चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 22 व 45 की 3.794 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, इसी चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 70/69 का मुरब्बा

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नम्बर 27, 28, 46 की कुल 15.812 हैक्टर नहरी मय खाला में से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित सम्पत्ति है तथा पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

A15/2

इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तथा वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं तथा जद्दी जायदाद होने के कारण उक्त वर्णित पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उन्होने अपना अपना हिस्सा वादी को देने का कहा हुआ है।

इस प्रकार से उक्त कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को निम्न प्रकार से भूमि दी हुई हैः–

1. वादी प्रेम चन्द पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 38/34 का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.264 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 70/69 का मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46 की कुल 15.812 हैक्टर नहरी मय खाला में से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि व इसी चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.076 हैक्टर), 25(0.075) कुल 0.379 हैक्टर कृषि भूमि व इस प्रकार कुल 3.161 हैक्टर कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 01 अशोक कुमार पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एच.एच का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 22 का किला नम्बर 3/2 (0.126), 4 व 5 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर) कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 6.200 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 4.650 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 1.550 हैक्टर कृषि भूमि कुल 2.182 हैक्टर कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 01 सोहन लाल पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 13/2 (0.126), 14 ता 20 (प्रत्येक 0.253), 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.177 हैक्टर), 25 (0.178) कुल 2.783 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित घरू बंटवारानामा अनुसार अपनी अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहें है तथा मौका पर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में मेहनत करके व काफी रूपया खर्च करके सुधार कार्य करवाया है।

कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 15.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है, यही वाद कारण है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A15
3

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. चक 10 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 38/34 का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.264 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, चक 10 एच.एच का खाता संख्या 70/69 का मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46 की कुल 15.812 हैक्टर नहरी मय खाला में से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि व इसी चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.076 हैक्टर), 25(0.075) कुल 0.379 हैक्टर कृषि भूमि इस प्रकार कुल 3.161 हैक्टर कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री रोबिन गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा कर लिया है तथा बंटवारा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी को निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने अपने हिस्सा का हक परित्याग करती हैं।

1. वादी प्रेम चन्द पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 38/34 का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.264 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 70/69 का मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46 की कुल 15.812 हैक्टर नहरी मय खाला में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.518 हैक्टर कृषि भूमि व इसी चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.076 हैक्टर), 25 (0.075) कुल 0.379 हैक्टर कृषि भूमि व इस प्रकार कुल 3.161 हैक्टर कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 01 अशोक कुमार पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 22 का किला नम्बर 3/2 (0.126), 4 व 5 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर) कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 6.200 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 4.650 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 1.550 हैक्टर कृषि भूमि कुल 2.182 हैक्टर कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 01 सोहन लाल पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एच.एच का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 13/2 (0.126), 14 ता 20 (प्रत्येक 0.253), 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.177 हैक्टर), 25 (0.178) कुल 2.783 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A15/4

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 10 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 38/34 का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1.264 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 6.200 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 4.650 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 1.550 हैक्टर कृषि भूमि, इसी चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 22 व 45 की 3.794 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, इसी चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 70/69 का मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46 की कुल 15.812 हैक्टर नहरी मय खाला में से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित सम्पत्ति है तथा पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है। जिसमे से वादी अपना हक घोषित करवाने के अधिकारी होना न्यायोचित पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी प्रेम चन्द पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 38/34 का मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.264 हैक्टर नहरी कृषि भूमि, चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 70/69 का मुरब्बा नम्बर 27, 28, 46 की कुल 15.812 हैक्टर नहरी मय खाला में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.518 हैक्टर कृषि भूमि व इसी चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.076 हैक्टर), 25 (0.075) कुल 0.379 हैक्टर कृषि भूमि व इस प्रकार कुल 3.161 हैक्टर कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 01 अशोक कुमार पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एच.एच. का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 22 का किला नम्बर 3/2 (0.126), 4 व 5 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर) कुल 0.632 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व चक 10 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072) का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 6.200 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 4.650 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 1.550 हैक्टर कृषि भूमि कुल 2.182 हैक्टर कृषि भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 01 सोहन लाल पुत्र श्री राजा राम को चक 10 एच.एच का खाता संख्या 62/57 का मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 13/2 (0.126), 14 ता 20 (प्रत्येक 0.253), 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.177 हैक्टर), 25 (0.178) कुल 2.783 हैक्टर नहरी कृषि भूमि।

A/15/5

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर